कार्यालय
क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)
Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120
E-mail: fdptr@rediffmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

प्रेस नोट

पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना प्रकोष्ठ की अवैध शिकार रणनीति साकार

सबको विदित है कि पन्ना टाईगर रिजर्व के आस–पास के क्षेत्रों में बन्दूक के माध्यम से, जहर के द्वारा, खेतों में फन्दा, नंगे बिजली के तार फसा कर वन्य प्राणियों के शिकार के प्रकरण समय–समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसी स्थिति का सही दिशा में निराकरण करने हेतु पन्ना टाईगर रिजर्व विगत 03 वर्षे से अवैध शिकार की दिशा में रोकथाम रणनीति अपनाई है। इस हेतु पूरे इलाके में टाईगर रिजर्व के असूचना तंत्र का जाल बिछाया गया है। इस तंत्र की जानकारी के आधार पर दिनांक 30.12.2011 को केन घड़ियाल अभयारण्य के ग्राम पहरापुरवा के छत्रपाल सिंह के खेत में उनके द्वारा रखवाली हेतु बसाये गये रक्षपाल सिंह आदिवासी वल्द बैजनाथ आदिवासी के डेरे का सर्च किया गया। सर्च के दरम्यान उनके डेरे में से बिजली के नंगे तार एवं फन्दा लगाने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले क्लच वायर जप्त हुए। मौके पर खेत के चारों ओर बागड में की गई तलाशो में इस बात की पुष्टि हुई कि खेत के बागड में भी सक्रिय क्लच वायर के फन्द लगाये गय हैं। जिसकी मौके पर जप्ती की गई। इस प्रकरण में खेत के मालिक छत्रपाल सिंह एवं एनके रखवाले रक्षपाल सिंह आदिवासी को मुख्य आरोपी बनाया जाकर पी.ओ.आर. क्रमांक 485/13 दिनांक 30.12.2011 जारी कराते हुए कार्यवाही जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्रपाल सिंह को इसकी जानकारी लगते ही वह फरार है, पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए छत्रपाल सिंह निवासी पहरापुरवा की खोज जारी है। मुल्जिम रक्षपाल को मौके पर गिरफ्तार कर न्यायालयीन हिरासत में भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 27 मार्च 2010 को इसी प्रकार फंदे में परिक्षेत्र चन्द्रनगर के रैपुरा बीट में एक तेंदुआ फस कर मृत्यु को प्राप्त कर गई थी। हाल ही में उत्तर पन्ना वन मण्डल के परिक्षेत्र विश्रामगंज, बीट सरकोहा के ग्राम सरकोहा में घटित प्रकरण में भी तेंदुए को इसी प्रकार के फंदे में फसाने के उपरान्त समय पर कार्यवाही करने के फलस्वरूप तेंदुए की जान बचाये जाने में सफलता मिली है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढाते हुए इस प्रकार शिकार होने के पहले ही मुल्जिमों को पकड़ लिया गया है।

परिक्षेत्र किशनगढ़ में मछली का शिकार करते 04 अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 30–31 की मध्य रात्रि में परिक्षेत्र किशनगढ़ के बीट बृजपुरा के कक्ष क्रमांक 508 श्यामरी नदी में अवैध मछली शिकार करते हुए ग्राम पलकोहा के कनल पिता छिवान रैकवार, भग्गू पिता हद्दु रैकवार, तुलसी पिता बंदू रैकवार एवं कट्टू पिता किप्पू रैकवार को 15 नगर मछली जाल,03 कि.ग्र. मछली एवं एक लकड़ी की नाव के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा पी.ओ.आर. क्रमांक 414 दिनांक 31.12.2011 के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन पाते हुए प्रकरण कायम किया गया है। इन सभी मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यह कार्यवाही पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना प्रकोष्ठ के अवैध शिकार रणनीति के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। अतः आम और खास से आग्रह है कि इसी प्रकार सूचनायें देते हुए वन्य प्राणियों के शिकार की रोकथाम में सहयोग दे तथा पन्ना बाघ पुर्नस्थापना योजना की सफलता के लिए सतत सहायोग करते रहें। पन्ना एवं छतरपुर जिले के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ''जयहिन्द''।

दिनांक – 31.12.2011

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व,पन्ना